दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 19/11/2025

वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री अविन्द्र कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

1. **वादी स. 1 इन्द्रजीतसिंह**–चक 7 एलजीडब्ल्यु–ए के प.न. 39/282 के किला न. 24/0.164 पुर्वी भाग, 25 की कुल 0.417 हैक. व चक 6 एलजीडब्ल्यु के प. न.40/282 का किला न.22/0.025 पश्चिम–दक्षिणी भाग, 23/0. 082 पुर्वी भाग, 24/0.114, 25/0.025 की कुल 0.246 हैक. तथा प.न. 40/283 के किला न. 1, 2/0.088 हैक. पश्चिमी भाग, 3/0.082 हैक. पूर्वी भाग, 4, 5/0.177, 9, 10 की 1.359 हैक. कुल 1.605 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

2. **वादी स. 2 हरमीतसिंह**–चक 7 एलजीडब्ल्यु–ए के प.न. 39/282 के किला न. 21, 22, 23, 24/0.089 हैक. पश्चिमी भाग की कुल 0.848 हैक. व चक 6 एलजीडब्ल्यु के प.न. 40/282 के किला न. 18/0.013, 19/0.165 हैक. पूर्वी भाग, 22/0.165 हैक. पूर्वी भाग,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.02 14:45:53 IST
Reason: SelfAttested

23/0.171 हैक. पश्चिमी भाग की कुल 0.514 हैक. भूमि व प.न. 40/283 का किला न. 2/. 165 हैक. पूर्वी भाग, 3/0.171 हैक. पश्चिमी भाग की कुल 0.336 हैक. की कुल 0.850 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

3. प्रतिवादी स. 1 लखविन्द्रसिंह—चक 6 एलजीडब्ल्यु के प.न. 40/282 का किला न. 11/0.114, 12/0.013, 19/0.037 हैक. पश्चिमी भाग, 20, 22/0.063 हैक. उतर—पश्चिमी भाग की कुल 0.480 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.02 14:45:53 IST
Reason: SelfAttested